हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

SC OBCS MINORITY AFFAIRS HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-9
Diary No 9655
Date 5-XI-16

सं0ःएस.जे.ई.-बी.-सी.(1)-2/2013-एस.एस.पी दिनांक शिमला-28 अक्तूबर,2016

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0 -बी0-सी0(1)-2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम,2010 के नियम 3, 4, तथा नियम 8 में निम्नलिखित संशोधन करतें हैंः-

नियम-3. परिभाषाएः

(12) ‘‘ट्राँसजैण्डर’’ से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति जिनकी लैंगिक पहचान, लैंगिक आचरण/व्यवहार की अभिव्यक्ति जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित लिंग के अनुरूप न हो। ऐसे व्यक्ति विभिन्न नामों जैसेः हिजड़ा, ईयुन्छ, कोठी, अरवनिस, जोगपा, शिव-शक्ति, इत्यादि नामों से भी जाने जाते हैं।

नियम-4. पात्रताः

(5) ऐसे ट्राँसजैण्डर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए हों, बिना किसी आयु तथा आय सीमा के ट्राँसजैण्डर पैंशन हेतु पात्र होंगें।

नियम-7. पैंशन की भत्ता/दरेंः

1-10-2016 से 650/- रूपये प्रति माह की दर से सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अंतर्गत ‘‘ ट्राँसजैण्डर पैंशन’’ दी जाएगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के ट्राँसजैण्डर व 70% से अधिक विकलांगता वाले ट्राँसजैण्डर को अन्य पैंशन श्रेणियों की तरह 1200/- रूपये प्रतिमाह की दर से यह पैंशन दी जाएगी।

नियम-8. वृद्धावस्था पैंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रियाः-

जारी/--

(च) ट्राँसजैण्डर के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान सम्बन्धी जारी प्रमाण-पत्र तथा स्वयं घोषित शपथ-पत्र।

आदेश द्वारा,

(अनुराधा ठाकुर)
सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला-2 28, अक्तूबर, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें, हि0 प्र0, कसुम्पटी, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला-171001
8. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
10. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव, हि0प्र0, शिमला-2
11. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री शिमला-171005 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

DIRECTORATE OF SCs, OBCs, & MINORITY AND THE SPECIALLY ABLED HIMACHAL PRADESH SHIMLA-9
Diary No. 4298
Date 18-5-2017

सं0ःएस0जे0ई0-बी0-सी0(1)-2/2013 दिनांक शिमला-2 15, मई, 2017

परिशिष्ट (अडेन्डम)

इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0-बी0-सी0(1) -2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम,2010 में संशोधन की बाबत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अप्रैल, 2017 के नियम 7(i) में "तथा" शब्द से पूर्व, "ट्रॉसजैण्डर", चिन्ह और शब्द जोड़े जाऐगें।

आदेश द्वारा,

अनुराधा ठाकुर
प्रधान सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला-2 15, मई, 2017
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें, हि0 प्र0, कसुम्पटी, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला-171001
8. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
10. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव, हि0प्र0, शिमला-2
11. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री शिमला-171005 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

छवि नान्टा
उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।